संख्या-21/2025/बी-2-434/दस-2025-एम-3/2019

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनाँक 02 सितम्बर, 2025

विषय- 50 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को ई.पी.सी. मोड में कराये जाने वाली प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2022/बी-2-218/दस-2022-एम-3/2019, दिनाँक 07 अक्टूबर, 2022 द्वारा 50 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को ई.पी.सी. मोड में कराये जाने वाली प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 07 अक्टूबर, 2022 के प्रस्तर-3(4) में क्रमांक "9" निम्नवत जोड़े जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(9) प्रमुख सचिव,नियोजन द्वारा नामित नियोजन विभाग के सचिव/विशेष सचिव- सदस्य सचिव

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-21/2025/बी-2-434(1)-दस-2025-एम-3/2019, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी।
6. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।